

पत्रांक/मान्यता/
प्रत्यक्षक,

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,
39237-39240 / 2018

शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2018

विशेष जॉनसन गर्ल्स स्कूल एण्ड
कॉलेज, 05 मिरान रोड, कटरा,
प्रयागराज।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।
महोदय/महोदया,

आपके तारीख 27-08-2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पर्याप्तता पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेशों से, मैं विशेष जॉनसन गर्ल्स स्कूल एण्ड कॉलेज, 05 मिरान रोड, कटरा, प्रयागराज को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विरतात्पीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पर्यंत मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाधता विहित नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का स्कूल न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निराकरता प्रस्ताव/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है, और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय को मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं गिनानुसार हैं:-
- i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

Manager
Johnston Girls' School & College
Prayagraj

SCHOOL & COLLEGE, PRAYAGRAJ

- iii. प्रीडा स्थल का क्षेत्रफल
 - iv. कक्षाओं की संख्या
 - v. प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्षा
 - vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
 - vii. पेयजल सुविधा
 - viii. मिड डे मील पकाने के लिए रसोई
 - ix. वातावरित पट्टा
 - x. अध्यापन पठन सामग्री/प्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई भी मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या प्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समर्थ प्रदत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है। (सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या-2452/1974-75, दिनांक 29-01-1975, जयसीजन एजुकेशन बोर्ड आफ दि जयसीजन गाउन्सिल आफ दि जयसीजन आफ लखनऊ)
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए।
 14. आवक विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड नम्बर 316 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 17. संलग्न उपायों के अनुसार अन्य कोई शर्त।

महदीय
 (संजय कुमार कुशवाहा)
 जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
 प्रयागराज।

/2016-19 तददिनांक।
 प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उपाध्यक्ष, एडप्रो वैशिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 2- सहायक शिक्षा निदेशक (वैशिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- 3- ज्येष्ठ शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र, प्रयागराज।
- 4- कार्यालय मार्ट फाइल।

Manager
 Bishop Johnson Girls School & College
 MANAGER
 Bishop Johnson Girls School And College
 211002

(संजय कुमार कुशवाहा)
 जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी
 प्रयागराज।
 PRINCIPAL
 Bishop Johnson Girls School And College,
 PRAYAGRAJ - 211002

MRS. SHIRLEY MASHI
 PRINCIPAL
 BISHOP JOHNSON GIRLS
 SCHOOL & COLLEGE, PRAYAGRAJ

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(बेसिक),

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371 /2025-26 दिनांक 10/10/2025

विषय: अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल की मान्यता के स्थायीकरण के सम्बन्ध में
महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 व शासनादेश संख्या-418/79-6-2013-एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक(प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक(जूनियर हाईस्कूल) स्कूल हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्त निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-13 में मान्यता दिये जाने हेतु निम्नवत प्राविधान है-
"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिये दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सञ्ज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।"

शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 में निहित शर्तों के अधीन निजी प्रबन्धन के अधीन संचालित विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है।

शासनादेश संख्या-89/अरसाठ-3- 2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 निर्गत किया गया जिसमें पूर्व में निर्गत मान्यता संबंधी शासनादेशों को अवकमित करते हुए अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 की शर्तों के अधीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 08 मई 2013 के प्रस्तर-13 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विद्यालयों को औपबन्धिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य सञ्ज्ञानित नहीं हुआ है तो औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ०प्र० लखनऊ।

पु०सं०. शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371

/2025-26 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
- 2- विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।
- 3- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, प्रयागराज।

Manager

Bishop Johnson Girls' School & College
Prayagraj

MRS. SHIRLEY MASIH
PRINCIPAL
BISHOP JOHNSON GIRLS'
SCHOOL & COLLEGE, PRAYAGRAJ

(प्रताप सिंह बघेल)
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ०प्र० लखनऊ।